पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2004 ई0 (अग्रहायण 20, 1926 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तरांचल के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग

80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून–248001

अधिसूचना

दिनांक 14 मई, 2004

संख्या एफ. 9(3)/आर.जी./यू.ई.आर.सी./2004/254–उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

अध्याय 1–प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा व्याख्या :

(1) ये विनियम उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन की दर के अवधारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2004 कहलाएँगे।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।[1]

(3) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे तथा जब तक कि आयोग द्वारा इनका पहले पुनरावलोकन या विस्तार न किया जाए, पाँच साल तक प्रवृत्त रहेंगे।

2. लागू होने की परिधि एवं विस्तार :

(1) जहाँ दर अवधारण बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया गया है, वहाँ आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार वह दर अंगीकार करेगा।

(2) अन्य सभी मामलों में, जहाँ उत्तरांचल में स्थित जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) व (बी) के अन्तर्गत आने वाले तथा 25 मेगावाट तक स्थापित क्षमता के छोटे जल शक्ति केन्द्रों के अतिरिक्त, का दर अवधारण आयोग द्वारा पूँजी लागत के आधार पर होना है, ये विनियम लागू होंगे।

[1]यह विनियम दिनांक 22.05.2004 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है। किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

3. परिभाषाएँ :

(1) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 36) अभिप्रेत है।

(2) "अतिरिक्त पूँजीकरण" से केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् वास्तविक रूप से हुआ पूँजीगत व्यय, जो कि प्रज्ञावान जाँच के पश्चात् आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है, अभिप्रेत है।

(3) "प्राधिकरण" से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 में संदर्भित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(4) "सहायक ऊर्जा खपत" से, एक अवधि के सम्बन्ध में, उत्पादन केन्द्र के सहायक उपस्करों द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है तथा इसे उत्पादन केन्द्र की सभी इकाईयों के उत्पादक टर्मिनलों पर उत्पादित कुल ऊर्जा के योग की प्रतिशतता के रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा।

(5) "फायदाग्राही" से, एक उत्पादन केन्द्र के सम्बन्ध में, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वार्षिक क्षमता प्रभार के संदाय करने पर ऐसे उत्पादन केन्द्र से उत्पादित ऊर्जा क्रय करता है।

(6) "क्षमता सूचकांक" से दैनिक क्षमता सूचकांकों का एक वर्ष का औसत अभिप्रेत है।

(7) "आयोग" से उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है।

(8) "कोर कारबार" से विद्युत उत्पादन के विनियमित क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं तथा इसमें उत्पादन कम्पनी के अन्य कारबार या क्रियाकलाप, जैसे दूरसंचार, परामर्श आदि, सम्मिलित नहीं हैं।

(9) 'अंतिम तिथि" से उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के एक वर्ष पश्चात् की तिथि अभिप्रेत है।

(10) "वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि या सी.ओ.डी." से, एक इकाई के सम्बन्ध में, फायदाग्रहियों को सूचना के पश्चात् एवं सफल परीक्षण चालन द्वारा संस्थापित क्षमता या अधिकतम निरंतर रेटिंग (एम.सी.आर.) के प्रदर्शन के पश्चात् उत्पादक द्वारा घोषित तिथि अभिप्रेत है तथा एक उत्पादन केन्द्र के सम्बन्ध में वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से, उत्पादन केन्द्र की अन्तिम इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि अभिप्रेत है।

(11) "दैनिक क्षमता सूचकांक" से दिवस के लिये अधिकतम उपलब्ध क्षमता के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त घोषित क्षमता अभिप्रेत है। इसे गणितीय रूप में इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाएगा :

$$\text{दैनिक क्षमता सूचकांक} = \frac{\text{घोषित क्षमता (मे0वा0)}}{\text{अधिकतम उपलब्ध क्षमता (मे0वा0)}} \times 100$$

दैनिक क्षमता सूचकांक 100% तक सीमित होगा।

(12) घोषित क्षमता

(a) तालाब सहित नदी से चलने वाले उत्पादन केन्द्र तथा भण्डारण प्रकार के उत्पादन केन्द्र के लिए घोषित क्षमता से जल की उपलब्धता, जल के अनुकूलतम उपयोग तथा मशीन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, उत्पादक द्वारा यथाघोषित आगामी दिन के व्यस्ततम घण्टों में उत्पादन केन्द्र से उपलब्ध की जाने वाली प्रत्याशित एक्स--बस क्षमता (मेगावाट में) अभिप्रेत है तथा इस प्रयोजन के लिए 24 घण्टे की अवधि के अन्दर व्यस्ततम घंटे 3 घंटे से कम नहीं होंगे।

(b) विशुद्ध रूप से नदी से चलने वाले उत्पादन केन्द्र के लिए घोषित क्षमता से अगले दिन उत्पादन केन्द्र से उपलब्ध, प्रत्याशित एक्स–बस क्षमता (मेगावाट में) जो कि जल की उपलब्धता, जल के अनुकूलतम उपयोग तथा मशीनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर उत्पादन केन्द्र द्वारा यथाघोषित हो, अभिप्रेत है।

(13) "समझा गया उत्पादन" से ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जो कि एक उत्पादन केन्द्र उत्पादित करने में समर्थ था, किन्तु ग्रिड या विद्युत प्रणाली की स्थिति, जो उत्पादन केन्द्र के नियंत्रण से बाहर थी, के फलस्वरूप जल रिसाव होने के कारण नहीं उत्पादित कर पाया।

(14) "अभिकल्पित ऊर्जा" से ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है जो कि उत्पादन केन्द्र की 95 प्रतिशत संस्थापित क्षमता के साथ एक 90 प्रतिशत निर्भर किए जा सकने वाले वर्ष में उत्पादित हो सकती हो।

(15) "विद्यमान उत्पादन केन्द्र" से 01.04.2004 से पहले की तिथि से वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत है।

(16) "इन्फर्म ऊर्जा" से उत्पादन केन्द्र की इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन से पहले उत्पादित ऊर्जा अभिप्रेत है।

(17) "संस्थापित क्षमता" से उत्पादन केन्द्र में इकाईयों की नाम–पट्टिका पर अंकित क्षमता का योग अथवा उत्पादन केन्द्र की क्षमता (जिसकी उत्पादक टर्मिनल्स पर गणना की गई हो), जैसी कि समय–समय पर आयोग द्वारा अनुमोदित हो, अभिप्रेत है।

(18) "अधिकतम उपलब्ध क्षमता" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :–

(a) तालाब सहित नदी से चलने वाले उत्पादन केन्द्र तथा भण्डारण प्रकार के उत्पादन केन्द्रः

अधिकतम क्षमता, मेगावाट में, जो सभी इकाईयों के चलते हुए, जल के स्तर तथा प्रवाह की वर्तमान परिस्थिति में उत्पादन केन्द्र अगले दिवस के व्यस्ततम घण्टों में उत्पादित कर सकता है।

स्पष्टीकरण :

इस प्रयोजन हेतु व्यस्ततम घंटे, 24 घंटे की अवधि के अन्दर, 3 घंटे से कम नहीं होंगे।

(b) विशुद्ध रूप से नदी से चलने वाले उत्पादन केन्द्र :

अधिकतम क्षमता, मेगावाट में, जो सभी इकाईयों के चलते हुए, जल के स्तर तथा प्रवाह की वर्तमान स्थिति में उत्पादन केन्द्र अगले दिवस में उत्पादित कर सकता है।

(19) "प्रचालन व अनुरक्षण व्यय" या "ओ0 एंड एम0 व्यय" से उत्पादन केन्द्र, इसके किसी भाग सहित, के प्रचालन व अनुरक्षण में उपगत व्यय अभिप्रेत है, जिसमें मानवशक्ति, बीमा, उपभोज्यों, कल–पुर्जों, मरम्मत तथा अन्य वस्तुओं पर व्यय सम्मिलित है।

(20) "मूल परियोजना लागत" से दर अवधारण हेतु आयोग द्वारा यथास्वीकृत, अन्तिम इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के एक वर्ष पश्चात् पहले वित्त वर्ष की समाप्ति तक परियोजना की मूल परिधि के अनुसार उत्पादन कम्पनी द्वारा उपगत वास्तविक व्यय अभिप्रेत है।

(21) "प्राथमिक ऊर्जा" से उत्पादन केन्द्र पर प्रति वर्ष के आधार पर अभिकल्पित ऊर्जा तक उत्पादित ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है।

(22) "परियोजना" से उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत है तथा इसमें ऊर्जा उत्पादन को प्रभाजित सम्पूर्ण जल शक्ति उत्पादन सुविधा तथा इसके सभी संघटक, जैसे योजना के अन्तर्गत बांध, अन्तर्ग्रहण, जल संवाहक प्रणाली, ऊर्जा उत्पादन केन्द्र तथा उत्पादन इकाईयाँ सम्मिलित हैं।

(23) "नदी से चलने वाले उत्पादन केन्द्र" से ऐसा जल विद्युत शक्ति उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें जलधारा के उत्तर में कोई तालाब न हो।

(24) "तालाब सहित नदी से चलने वाले उत्पादन केन्द्र" से ऐसा जल विद्युत उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें ऊर्जा की मांग की दैनिक घट–बढ़ को संभालने के लिए पर्याप्त तालाब हो।

(25) "भण्डारण प्रकार के उत्पादन केन्द्र" से ऐसा जल विद्युत शक्ति उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत है, जिसमें मांग के अनुसार ऊर्जा के उत्पादन की घट–बढ़ के योग्य विशाल भण्डारण की क्षमता हो।

(26) "विक्रय योग्य प्राथमिक ऊर्जा" से विक्रय हेतु (एक्स–बस) उपलब्ध प्राथमिक ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है, जो गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा, यदि कुछ है, प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध है।

(27) "विक्रय योग्य गौण ऊर्जा" से विक्रय हेतु (एक्स–बस) उपलब्ध गौण ऊर्जा की वह मात्रा अभिप्रेत है, जो गृह राज्य को निःशुल्क ऊर्जा, यदि कुछ है, प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध है।

(28) "अनुसूचित ऊर्जा" से राज्य भार निस्तारण केन्द्र द्वारा यथाअनुसूचित अगले 24 घंटों की अवधि में उत्पादन केन्द्र पर उत्पादित होने वाले ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है।

(29) "गौण ऊर्जा" से उत्पादन केन्द्र पर प्रति वर्ष के आधार पर, अभिकल्पित ऊर्जा से अधिक उत्पादित ऊर्जा की मात्रा अभिप्रेत है।

(30) "राज्य सरकार" से उत्तरांचल सरकार अभिप्रेत है।

(31) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(32) इन विनियमों में प्रयोग किए गए शब्दों तथा पदों के जो यहाँ परिभाषित नही हैं किन्तु विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 में हैं।

अध्याय 2–जल विद्युत उत्पादन दर की दर के अवधारण हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें

4. दर अवधारण हेतु आवेदन :

(1) उत्पादन कम्पनी, उत्पादन केन्द्र की पूर्ण इकाईयों के सन्दर्भ में दर अवधारण हेतु, ऐसे रूप विधान में तथा ऐसी सूचना के साथ जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो, आवेदन कर सकती है।

(2) 01.04.2004 या उसके पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित उत्पादन केन्द्र के विषय में, दर अवधारण हेतु आवेदन दो प्रक्रमों में किया जाएगा, अर्थात्,

(a) उत्पादन कम्पनी आवेदन करने की तिथि या इससे पहले की तिथि तक हुए वास्तविक पूँजीगत व्यय, जो विधिक लेखा संपरीक्षकों द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित व प्रमाणित हो, के आधार पर परियोजना के पूर्ण होने की प्रत्याशित तिथि से अग्रिम में ही अनंतिम दर अवधारण हेतु आवेदन कर सकती है। ये अनंतिम दर उत्पादन केन्द्र की सम्बन्धित इकाई के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि से प्रभार्य होगी।

(b) उत्पादन कम्पनी, आवेदन के साथ, दर अवधारण हेतु, जितने वर्षों के लिए वह दर अवधारण करवाना चाहती है, जो पाँच वर्षों से अधिक न हो, उतने वर्षों के सम्यक् रूप से विधिमान्य अनुमानित वार्षिक आँकड़े दाखिल करेगी।

5. दर अवधारण :

(1) इन विनियमों के अधीन एक उत्पादन केन्द्र के सम्बन्ध में दर, इकाईवार, प्रक्रमवार या सम्पूर्ण उत्पादन केन्द्र हेतु अवधारित होगा।

(2) दर के प्रयोजन से परियोजना की पूँजी लागत प्रक्रमों में तथा परियोजना की प्रत्येक सुभिन्न इकाई में विभक्त होगी। जहाँ प्रक्रमवार अथवा इकाईवार पूँजी लागत की विभक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं तथा प्रगतिशील परियोजनाओं के विषय में, साझी सुविधाओं का प्रभाजन इकाईयों की संस्थापित क्षमता के आधार पर होगा। बहु–प्रयोज्यीय जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में, जिसमें सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा ऊर्जा संघटक हैं, केवल परियोजना के ऊर्जा संघटक को प्रभार्य पूँजी लागत पर दर अवधारण हेतु विचार किया जाएगा।

6. प्रचालन के संनियमों का अधिकतम संनियम होना :

शंका समाधान हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट प्रचालन के संनियम अधिकतम संनियम हैं तथा इसमें प्रचालन में सुधार हेतु फायदाग्राहियों तथा उत्पादन कम्पनी द्वारा सुव्यवस्थित मानों पर सहमति बाधित नहीं होगी तथा ऐसे सुव्यवस्थित मानों की सहमति पर सुव्यवस्थित मान दर अवधारण हेतु लागू होंगे।

7. आय पर कर :

(1) उत्पादन कम्पनी के कोर कारबार से आय के स्रोतों पर कर की गणना एक व्यय के रूप में होगी तथा फायदाग्राहियों से वसूल की जाएगी।

(2) आय पर कर की कम या अधिक वसूली को, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आय कर निर्धारण, जो कि विधिक लेखा संपरीक्षकों द्वारा प्रमाणित हो, के आधार पर प्रतिवर्ष समायोजित किया जाएगा।

परन्तु यह कि कोर काराबार से भिन्न किसी भी आय के स्रोत पर कर का दर में पारगमन नहीं होगा तथा ऐसी आय पर कर उत्पादन कम्पनी द्वारा संदेय होगा।

परन्तु यह भी कि उत्पादन केन्द्र–वार कर से पूर्व लाभ, जैसा कि वर्ष के लिए अग्रिम प्राक्कलित किया गया हो, सभी उत्पादन केन्द्रों के बीच निगमित कर दायित्व के वितरण का आधार होगा।

परन्तु यह भी कि आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार यथालागू कर अवकाश के लाभ फायदाग्राहियों को दिए जाएँगे।

परन्तु यह भी कि किसी अन्य साम्यिक आधार के अभाव में अनवशोषित अवक्षयण तथा अग्रनीत हानि का श्रेय इस विनियम के दूसरे परन्तुक में दिये अनुपात के आधार पर दिया जाएगा।

परन्तु यह भी कि उत्पादन केन्द्र को आबंटित आय कर, वार्षिक क्षमता प्रभार के ही अनुपात में फायदाग्राहियों पर प्रभारी होगा।

8. कर–करार तंत्र :

(1) सभी फायदाग्राही अनुसूचित बैंक में एक कर–करार खाता, जिस पर ब्याज प्राप्त होता हो, रखेंगे तथा ब्याज से प्राप्त सभी राशि इस खाते में डाली जाएगी।

(2) प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ से दो माह पूर्व कर दायित्व का आकलन किया जाएगा और फायदाग्राहियों को सूचित किया जाएगा। उत्पादन कम्पनी फायदाग्राहियों से वसूल किये जाने वाले कर स्वरूप दायित्व को कम करने का प्रयास करेगी।

(3) उत्पादन कम्पनी के विधिक संपरीक्षकों के एक ऐसे प्रमाण–पत्र, कि कर प्राधिकरण को तत्काल ऐसी राशि देय है, के करारधारक को प्रस्तुति पर उत्पादन कम्पनी कर दायित्व के परिनिर्धारण हेतु राशि आहरित करने के लिए प्राधिकृत होगी।

(4) उत्पादन कम्पनी कर प्राधिकरण से प्राप्त किसी भी प्रतिदाय को कर–करार खाते में संदत्त करेगी।

(5) प्रतिदाय, यदि कोई हो तो, फायदाग्राहियों को पुनः संदत्त नहीं किया जाएगा तथा इसे कर–करार खाते में समायोजित किया जाएगा। किसी भी शोध्य या वापसी योग्य अतिशेष को आगामी वर्ष में पुनः समायोजित किया जाएगा।

(6) फायदाग्राहियों की लेखा बहियों में कर–करार खाते उनके अपने बैंक खाते की तरह दर्शाए जाएँगे।

9. अतिरिक्त रुपया दायित्व :

सुसंगत वर्ष में, वास्तविक रूप से हुए ऋण प्रतिसंदाय तथा ब्याज संदाय के कारण अतिरिक्त रूपया दायित्व की अनुमति होगी, परन्तु यह सीधे विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन से प्रत्यक्षतः उद्भूत हो तथा ये उत्पादन कम्पनी या इसके प्रदायकर्ताओं अथवा संविदाकारों के कारण न हो। प्रत्येक उत्पादन कम्पनी विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन को आय या व्यय की तरह, उस सीमा तक जिसका कि जोखिम आकरण न किया जाए या जब तक कि इस जोखिम आकरण के मूल्य पर विचार न कर लिया जाए, वर्षानुवर्ष आधार पर जिस अवधि में वह उदभूत हो वसूल करेगी और ये वर्षानुवर्ष आधार पर समायोजित होंगे।

10. आय कर तथा विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन की वसूली :

आय कर तथा विदेशी मुद्रा दर परिर्वतन की वसूली, उत्पादन कम्पनी द्वारा आयोग के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत किये बिना, फायदाग्राहियों से की जाएगी।

परन्तु यह कि विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन तथा आय कर की दावाकृत राशि पर फायदाग्राहियों द्वारा की गई किसी आपत्ति की स्थिति में उत्पादन कम्पनी आयोग के समक्ष उसके विनिश्चय हेतु समुचित आवेदन कर सकती है।

11. संनियमों से विचलन :

(1) उत्पादन कम्पनी द्वारा विद्युत विक्रय हेतु दर का अवधारण इन विनियमों में विनिर्दिष्ट संनियमों के विचलन में भी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किया जा सकता है :

(a) परिसम्पत्ति के पूर्ण जीवन काल में विचलित संनियमों के आधार पर संगणित सम्पूर्ण प्रति इकाई विद्युत दर, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट संनियमों के आधार पर संगणित प्रति इकाई दर से अधिक न हो।

(b) ऐसा कोई विचलन, आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

अध्याय 3–प्रचालन के संनियम

12. क्षमता सूचकांक :

(1) पूर्ण क्षमता प्रभार वसूली हेतु मानकीय क्षमता सूचकांक :

(a) उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन के प्रथम वर्ष के दौरान :

शुद्ध रूप से नदी से चलने वाले उत्पादन केन्द्र	= 85%
भण्डारण प्रकार तथा तालाब के साथ नदी से चलने वाले उत्पादन केन्द्र	= 80%

(b) उत्पादन केन्द्र के प्रचालन के एक वर्ष पश्चात् :

शुद्ध रूप से नदी से चलने वाले उत्पादन केन्द्र	= 90%
भण्डारण प्रकार तथा तालाब के साथ नदी से चलने वाले उत्पादन केन्द्र	= 85%

टिप्पणीः–विहित मानकीय स्तरों से नीचे यदि उत्पादन केन्द्र का क्षमता सूचकांक पहुँचता है तो ऐसी स्थिति में क्षमता प्रभार की वसूली अनुपाततः होगी। शून्य क्षमता सूचकांक पर उत्पादन केन्द्र को कोई क्षमता प्रभार संदेय नहीं होगा।

13. सहायक ऊर्जा खपत :

(1)	जनरेटिंग शाफ्ट पर माउन्टेड रोटेटिंग ऐक्साइटर्स के साथ सतही जल शक्ति उत्पादन केन्द्र	= उत्पादित ऊर्जा का 0.2%
(2)	स्टैटिक ऐक्साइटेशन प्रणाली के साथ सतही जल शक्ति उत्पादन केन्द्र	= उत्पादित ऊर्जा का 0.5%
(3)	जनरेटिंग शाफ्ट पर माउन्टेड रोटेटिंग ऐक्साइटर्स के साथ भूमिगत जल शक्ति उत्पादन केन्द्र	= उत्पादित ऊर्जा का 0.4%
(4)	स्टैटिक ऐक्साइटेशन प्रणाली के साथ भूमिगत जल शक्ति उत्पादन केन्द्र	= उत्पादित ऊर्जा का 0.7%

14. परिवर्तक हानियाँ :

उत्पादन विभव से पारेषण विभव तक – उत्पादित ऊर्जा का 0.5%

15. पूँजी लागत :

(1) आयोग द्वारा प्रज्ञावान जाँच की शर्त पर, परियोजना के पूर्ण होने पर उपगत वास्तविक व्यय अन्तिम दर अवधारण का आधार बनेगा। अन्तिम दर अवधारण उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि तक वास्तव में उपगत स्वीकारोक्त पूँजीगत व्यय पर होगा तथा इसमें अन्तिम तिथि पर मूल परियोजना लागत के 1.5 प्रतिशत की संनियम सीमा तक प्रारम्भिक कल–पुर्जे सम्मिलित होंगे।

परन्तु यह कि जहाँ फायदाग्राहियों तथा उत्पादन कम्पनी के मध्य हुए विद्युत क्रय के करार में वास्तविक व्यय की सीमा का उपबन्ध है वहाँ दर अवधारण हेतु ऐसी सीमा से अधिक पूँजीगत व्यय नहीं होंगे।

(2) विद्यमान उत्पादन केन्द्रों के सम्बन्ध में उपयुक्त आयोग द्वारा पहली बार स्वीकृत पूँजी लागत, दर अवधारण का आधार बनेगी।

टिप्पणीः– दर अवधारण के प्रयोजन हेतु आयोग द्वारा परियोजना लागत आकलन की संवीक्षा, पूँजी लागत की युक्तियुक्तता, वित्त पोषण योजना, निर्माण की अवधि में ब्याज, कुशल तकनीक का प्रयोग तथा ऐसे अन्य विषयों तक सीमित रहेगी।

16. अतिरिक्त पूँजीकरण :

(1) प्रज्ञावान जाँच की शर्त पर, वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् अन्तिम तिथि तक, कार्य की मूल परिधि में वास्तव में उपगत निम्नलिखित स्वभाव के पूँजीगत व्यय आयोग द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं :

(i) आस्थगित देय;

(ii) निष्पादन हेतु आस्थगित संकर्म;

(iii) विनियम 15 में निर्दिष्ट ऊपरी सीमा की शर्त के साथ, कार्य की मूल परिधि में प्रारम्भिक पूँजीगत कलपुर्जों की अधिप्राप्ति;

(iv) न्यायालय की डिक्री या आदेश के अनुपालन या माध्यस्थम् के पंचाट की पूर्ति हेतु दायित्व; एवं

(v) विधि में परिवर्तन के कारण।

परन्तु यह कि कार्य की मूल परिधि एवं व्यय के प्राक्कलन अनंतिम दर हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाएँगे।

परन्तु यह भी कि आस्थगित दायित्वों तथा निष्पादन हेतु आस्थगित कार्यों की सूची, उत्पादन केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि के पश्चात् अन्तिम दर के लिये आवेदन के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

(2) इस विनियम के उप–विनियम (3) के उपबन्ध की शर्त पर, अंतिम तिथि के पश्चात् वास्तव में उपगत, निम्नलिखित स्वभाव के पूँजीगत व्यय, प्रज्ञावान जाँच की शर्त पर, आयोग द्वारा स्वीकार किए जा सकते हैं:

(i) कार्य की मूल परिधि में कार्य/सेवाओं से सम्बन्धित आस्थगित दायित्व;

(ii) न्यायालय की डिक्री या आदेश के अनुपालन या माध्यस्थम के पंचाट की पूर्ति हेतु दायित्व;

(iii) विधि में परिवर्तन के कारण; तथा

(iv) कोई अतिरिक्त कार्य/सेवा जो संयंत्र के कुशल संचालन हेतु आवश्यक हो गये हों, किन्तु मूल पूँजी लागत में सम्मिलित न हों।

(3) 01.04.2004 से छोटी–मोटी वस्तुओं/परिसम्पत्तियों जैसे कि काँटे, औज़ार, पर्सनल कम्प्यूटर, फर्नीचर, एयर कन्डीशनर, वोल्टेज स्टेबलाइज़र, रेफ्रिजरेटर, कूलर, पंखे, टी0वी0, वाशिंग मशीन, हीट कन्वेक्टर, गद्दे व गलीचे इत्यादि जिन्हें अन्तिम तिथि के पश्चात् लाया जाएगा, के अर्जन पर किए गए व्यय पर दर अवधारण हेतु अतिरिक्त पूँजीकरण के लिये विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : यह सूची केवल दृष्टांत स्वरूप है, यह सुविस्तृत नहीं है।

(4) दर पुनरीक्षण पर अतिरिक्त पूँजीकरण के प्रभाव पर दर अवधि में दो बार, अन्तिम तिथि के पश्चात् दर पुनरीक्षण सहित, आयोग द्वारा विचार किया जा सकता है।

टिप्पणी–1 कार्य की मूल परिधि के अन्तर्गत वचनबद्ध दायित्वों के कारण स्वीकार किए गए किसी व्यय तथा प्रौद्योगिक व आर्थिक आधार पर आस्थगित किन्तु कार्य की मूल परिधि में आने वाले व्यय को विनियम 18 में उपदर्शित रीति द्वारा मानकीय ऋण–इक्विटी अनुपात में वितरित किया जाएगा।

टिप्पणी–2 पुरानी परिसम्पत्तियों, इस विनियम के उप–विनियम (3) में सूचीबद्ध मदों के अतिरिक्त, के बदलाव पर किसी व्यय पर मूल पूँजी लागत में से मूल परिसम्पत्तियों की कुल कीमत अपलिखित करने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

टिप्पणी–3 कार्य की मूल परिधि में असम्मिलित नए कार्य के कारण, आयोग द्वारा दर अवधारण हेतु स्वीकार किए गए किसी व्यय को विनियम 18 में निर्दिष्ट मानकीय ऋण–इक्विटी अनुपात के अनुसार वितरित किया जाएगा।

टिप्पणी–4 जीवन वृद्धि, आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण पर स्वीकार किए गए किसी व्यय को, मूल पूँजी लागत में बदली गई परिसम्पत्ति की मूल राशि अपलिखित करने के पश्चात्, विनियम 18 में निर्दिष्ट मानकीय ऋण–इक्विटी अनुपात में वितरित किया जाएगा।

17. इन्फर्म ऊर्जा का विक्रय :

इन्फर्म ऊर्जा के विक्रय से उत्पादन कम्पनी द्वारा अर्जित कोई राजस्व, पूँजी लागत में कमी माना जाएगा तथा उसे राजस्व नहीं माना जाएगा। इन्फर्म ऊर्जा की दर वही होगी, जो कि उत्पादन केन्द्र की प्राथमिक ऊर्जा की दर है।

18. ऋण—इक्विटी अनुपात :

(1) सभी उत्पादन केन्द्रों के सम्बन्ध में, दर अवधारण हेतु, वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि पर ऋण—इक्विटी अनुपात 70 : 30 होगा। जहाँ नियोजित इक्विटी की राशि 30 प्रतिशत से अधिक है, वहाँ दर अवधारण हेतु इक्विटी की राशि 30 प्रतिशत तक सीमित होगी तथा शेष राशि को मानकीय ऋण समझा जाएगा।

परन्तु यह कि ऐसी स्थिति में जब कि वास्तव में नियोजित इक्विटी 30 प्रतिशत से कम है, वास्तविक ऋण व इक्विटी दर अवधारण हेतु विचारणीय होंगे।

(2) उप विनियम—(1) के अनुसार निकाली गयी ऋण व इक्विटी राशि, ऋण पर ब्याज, इक्विटी पर प्रत्यागम, अवक्षयण के प्रति अग्रिम तथा विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन की गणना के लिए उपयोग की जाएगी।

अध्याय 4—वार्षिक प्रभारों की संगणना

19. द्विभागीय दर :

जल विद्युत केन्द्र से विद्युत के विक्रय हेतु द्विभागीय दर में वार्षिक क्षमता प्रभारों तथा प्राथमिक ऊर्जा प्रभारों की वसूली सम्मिलित होगी।

20. क्षमता प्रभार :

(1) क्षमता प्रभार की संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी :

क्षमता प्रभार = (वार्षिक स्थिर प्रभार — प्राथमिक ऊर्जा प्रभार)

टिप्पणी—प्राथमिक ऊर्जा प्रभार द्वारा वसूली, वार्षिक स्थिर प्रभार से अधिक नहीं होगी।

(2) प्रत्येक फायदाग्राही उत्पादन केन्द्र की कुल विक्रय योग्य क्षमता में उसके प्रतिशत अंश के अनुपात में क्षमता प्रभारों का भुगतान करेगा। विक्रय योग्य क्षमता से कुल क्षमता में से गृह राज्य की निःशुल्क क्षमता, यदि कोई है, का व्यवकलन अभिप्रेत है।

परन्तु यह कि उन दशाओं में जहाँ विक्रय योग्य क्षमता, जो कि करार द्वारा या अन्यथा फायदाग्राही के लिए वचनबद्ध या निश्चित क्षमता है, उपलब्ध नहीं है वहाँ इसका विभाजन विभिन्न फायदाग्राहियों को ऊर्जा की बिक्री के अनुपात के आधार पर होगा।

21. वार्षिक स्थिर प्रभार :

(1) वार्षिक स्थिर प्रभार (ए एफ सी) में इनका समावेश होगा :

(a) ऋण पूँजी पर ब्याज;

(b) अवक्षयण एवं अवक्षयण के प्रति अग्रिम;

(c) इक्विटी पर प्रत्यागम;

(d) प्रचालन व अनुरक्षण व्यय;

(e) कार्यचालन पूँजी पर ब्याज।

(2) उस आय का, जो आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त प्रभारों से प्राप्त आय के अतिरिक्त हो तथा उत्पादन कम्पनी की परिसम्पत्तियों के उपयोग से हो, आयोग द्वारा दर अवधारण के समय उपयुक्त रूप से समायोजन किया जा सकता है।

22. ऋण पूँजी पर ब्याज :

(1) ऋण पूँजी पर ब्याज ऋणवार, विनियम 18 में उपदर्शित रीति से आकलित ऋणों सहित, संगणित किया जाएगा।

(2) 01.04.2004 पर अवशेष ऋण उपविनियम (1) के अनुसार कुल ऋण में से 31.03.2004 तक आयोग द्वारा स्वीकार किये गये संचयी पुनर्भुगतान को घटाकर निकाला जाएगा। भविष्य के लिए पुनर्भुगतान मानकीय आधार पर निकाला जाएगा।

(3) उत्पादन कम्पनी ऋण की अदला–बदली के लिए तब तक सभी प्रयत्न करेगी जब तक कि इसके परिणाम स्वरूप फायदाग्राहियों को लाभ होता हो। इस प्रकार की अदला–बदली की सभी लागतों का भार फायदाग्राहियों द्वारा उठाया जाएगा।

(4) ऋण के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन उस तिथि से प्रदर्शित होंगे, जिस तिथि से यह अदला–बदली हो व लाभ फायदाग्राहियों को प्राप्त हों।

(5) किसी विवाद की स्थिति में कोई भी पक्ष समुचित आवेदन के साथ आयोग के पास आ सकता है। किन्तु ऋण की अदला–बदली से सम्बन्धित किसी विवाद के लम्बित होने की अवधि में आयोग के आदेशानुसार उत्पादन कम्पनी को कोई संदाय फायदाग्राही नहीं रोकेगा।

(6) उत्पादन कम्पनी द्वारा विलम्बनाधीन अवधि के उपयोग की स्थिति में विलम्बनाधीन अवधि के दौरान दर हेतु प्रदत्त अवक्षयण उन वर्षों की अवधि का पुनर्भुगतान माना जाएगा तथा ऋण पर ब्याज तदनुसार संगणित किया जाएगा।

(7) उत्पादन कम्पनी ऋण की अदला–बदली तथा ऋण पर ब्याज के कारण कोई लाभ अर्जित नहीं करेगी।

23. अवक्षयण :

(1) अवक्षयण के प्रयोजन से मूल्य आधार परिसंपत्तियों की इतिवृत्त लागत होगी।

(2) अवक्षयण की संगणना परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवन काल पर सरल रेखा प्रणाली के आधार पर प्रति वर्ष होगी तथा यह इन विनियमों के परिशिष्ट 1 में विहित निर्धारित दर पर होगी।

परिसम्पत्तियों का अवशिष्ट जीवन दस प्रतिशत माना जाएगा तथा परिसम्पत्तियों की इतिवृत्त पूँजी लागत के 90 प्रतिशत तक अधिकतम अवक्षयण अनुज्ञात होगा। भूमि एक अवक्षयी परिसम्पत्ति नहीं है तथा इसकी लागत, परिसम्पत्ति की इतिवृत्त लागत के 90 प्रतिशत की गणना करते समय पूँजी लागत से अपवर्जित होगी। राज्य या केन्द्र सरकार/आयोग द्वारा पहले से अनुमोदित 31.03.2004 तक विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन के कारण अतिरिक्त पूँजीकरण, परिसम्पत्ति की इतिवृत्त पूँजीगत लागत में सम्मिलित होगा।

(3) सम्पूर्ण ऋण के पुनर्भुगतान पर, अवशेष अवक्षयी मूल्य, परिसम्पत्ति के शेष उपयोगी जीवन में बांट दिया जाएगा।

(4) प्रचालन के पहले वर्ष से अवक्षयण प्रभार्य होगा। परिसम्पत्ति के वर्ष के किसी भाग में संचालित होने पर अवक्षयण अनुपाततः आधार पर प्रभारित होगा।

24. अवक्षयण के प्रति अग्रिम (ए. ए. डी.) :

(1) अनुज्ञेय अवक्षयण के अतिरिक्त, उत्पादन कम्पनी अवक्षयण के प्रति अग्रिम के लिए पात्र होगी, जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी:

ए.ए.डी.= विनियम 22 के अनुसार पुनर्भुगतान राशि, विनियम 18 के अनुसार ऋण राशि के 1/10वें की सीमा की शर्त के साथ, में से अनुसूची अनुसार अवक्षयण का व्यवकलन।

परन्तु यह कि अवक्षयण के प्रति अग्रिम की अनुमति तभी होगी, जब किसी विशिष्ट वर्ष तक संचयी पुनर्भुगतान उस वर्ष तक के संचयी अवक्षयण से अधिक हो।

परन्तु यह भी कि विशिष्ट वर्ष में अवक्षयण के प्रति अग्रिम, उस वर्ष तक के संचयी अवक्षयण तथा संचयी पुनर्भुगतान के मध्य के अन्तर तक सीमित होगा।

25. इक्विटी पर प्रत्यागम :

इक्विटी पर प्रत्यागम की गणना विनियम 18 के अनुसार अवधारित इक्विटी के आधार पर होगी तथा यह 14 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा।

परन्तु यह कि किसी विदेशी मुद्रा में निवेशित इक्विटी पर उसी मुद्रा में विहित सीमा तक इक्विटी पर प्रत्यागम की अनुमति होगी तथा यह संदाय बिलिंग की देय तिथि पर विद्यमान विदेशी मुद्रा दर पर आधारित भारतीय रूपयों में होगा।

स्पष्टीकरण : उत्पादन कम्पनी द्वारा शेयर पूँजी जारी करते समय जुटाया गया प्रीमियम तथा उत्पादन केन्द्र द्वारा परियोजना की निधि के लिए मुक्त कोष से रचित आन्तरिक संसाधनों से निवेश, यदि कोई हो, भी इक्विटी पर प्रत्यागम की गणना के उद्देश्य से समादत्त पूँजी माने जाएँगे। परन्तु यह कि ऐसी शेयर पूँजी, प्रीमियम राशि तथा आन्तरिक संसाधनों का उपयोग वास्तव में उत्पादन केन्द्र के पूँजीगत व्यय को पूरा करने के लिए किया गया हो तथा जो अनुमोदित वित्तीय पैकेज का अंश हो।

26. प्रचालन तथा अनुरक्षण व्यय :

(1) पाँच वर्ष से अधिक आयु के संयत्रों के लिए :

(a) विद्यमान उत्पादन केन्द्र, जो आधार वर्ष 2003–04 पर 5 वर्ष या इससे अधिक समय से प्रचालन में हैं, के लिए बीमा सहित प्रचालन व अनुरक्षण व्यय, ऐसे केन्द्रों के लिए 1998–99 से 2002–03 तक वास्तविक प्रचालन व अनुरक्षण व्यय के आधार पर निकाले जाएँगे, जो कि आयोग की प्रज्ञावान जाँच के पश्चात् असामान्य प्रचालन व अनुरक्षण, यदि कोई है, को छोड़कर लेखा संपरीक्षित तुलन–पत्र पर आधारित होंगे।

(b) प्रज्ञावान जाँच के पश्चात् वर्ष 1998–99 से 2002–03 के ऐसे सामान्यीकृत प्रचालन व अनुरक्षण व्यय का औसत वर्ष 2000–01 के लिए प्रचालन व अनुरक्षण व्यय समझा जाएगा और 2003–04 के आधार वर्ष का व्यय निकालने के लिए इसमें 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि की जाएगी।

(c) वर्ष 2003–04 के लिए आधार प्रचालन व अनुरक्षण व्यय में, सुसंगत दर वर्ष के लिए अनुज्ञेय प्रचालन व अनुरक्षण व्यय निकालने के लिए, 4 प्रतिशत वार्षिक दर से और आगे वृद्धि की जाएगी।

(2) 5 वर्ष से कम आयु के सयंत्रों के लिए :

(a) उन जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के विषय में, जो कि पाँच वर्ष की अवधि से अस्तित्व में नहीं हैं, प्रचालन व अनुरक्षण व्यय, आयोग द्वारा स्वीकार्य पूँजी लागत के 1.5 प्रतिशत पर नियत होगा तथा आधार वर्ष 2003–04 के लिए प्रचालन व अनुरक्षण व्यय निकालने के लिए इसमें अगले वर्षों के लिए 4 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि की जाएगी। आधार प्रचालन व अनुरक्षण व्यय में, सुसंगत वर्ष हेतु अनुज्ञेय प्रचालन व अनुरक्षण व्यय निकालने के लिए, 4 प्रतिशत वार्षिक दर से और आगे वृद्धि की जाएगी।

(b) 01.04.2004 को या उसके पश्चात् वाणिज्यक प्रचालन के अधीन घोषित जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के सम्बन्ध में आधार प्रचालन व अनुरक्षण व्यय संस्थापना के वर्ष में पूँजी लागत, जो आयोग द्वारा स्वीकृत है, के 1.5 प्रतिशत पर नियत होंगे तथा आगे के वर्षों में 4 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ाए जाएँगे।

(3) बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई व ऊर्जा संघटकों के साथ बहु–प्रयोज्यीय जल विद्युत केन्द्रों के विषय में, केवल ऊर्जा संघटकों को प्रभारित ओ० एंड एम० व्यय पर दर अवधारण हेतु विचार किया जाएगा।

27. कार्यचालन पूँजी पर ब्याज :

(1) कार्यचालन पूँजी में समाविष्ट होंगे :

(a) एक माह के लिए प्रचालन व अनुरक्षण व्यय;

(b) अनुरक्षण कलपुर्जे, इतिवृत्त लागत के 1 प्रतिशत की दर से, जिसमें वाणिज्यक प्रचालन की तिथि से 6 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि की जाए (उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० से उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि० को हस्तांतरित केन्द्रों के विषय में, इतिवृत्त लागत उ०प्र० रा०वि०बो० के पुनर्गठन की तिथि की लागत होगी जिनमें इसके बाद 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि की जाएगी) तथा,

(c) मानकीय क्षमता सूचकांक पर परिकलित विद्युत विक्रय के लिए 2 माह के स्थिर प्रभार के समतुल्य प्राप्य।

(2) कार्यचालन पूँजी पर ब्याज की दर, उत्पादन इकाई/केन्द्र के वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित होने के वर्ष की 1 अप्रैल या 01.04.2004 दोनों में से जो बाद में हो, उस तिथि पर भारतीय स्टेट बैंक की अल्प कालीन प्राहर्य उधार देने की दर होगी। उत्पादन कम्पनी के किसी बाहरी अभिकरण से कार्यचालन पूँजी ऋण न लेने पर भी कार्यचालन पूँजी पर ब्याज मानकीय आधार पर संदेय होगा।

28. प्राथमिक व गौण ऊर्जा प्रभार :

(1) प्राथमिक ऊर्जा प्रभार, गृह राज्य को परिदत्त निःशुल्क ऊर्जा के समायोजन के पश्चात् जल विद्युत उत्पादन केन्द्र से बाहर भेजे जाने के लिए अनुसूचित एक्स–बस ऊर्जा पर पैसे प्रति किलोवाट घंटा में दर के आधार पर निकाला जाएगा।

(2) पम्प्ड भण्डारण उत्पादन केन्द्रों के अतिरिक्त सभी जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिये प्राथमिक ऊर्जा की दर केन्द्रीय प्रभाग के सम्बद्ध क्षेत्र के तापीय केन्द्र के निम्नतम परिवर्तनीय प्रभार के बराबर होगी। प्राथमिक ऊर्जा प्रभार की गणना, केन्द्र की विक्रय योग्य ऊर्जा और प्राथमिक ऊर्जा की दर के आधार पर होगी।

परन्तु यह कि यदि उपरोक्त प्राथमिक ऊर्जा दर लागू करने पर वसूल किया जाने वाला प्राथमिक ऊर्जा प्रभार, उत्पादन केन्द्र के वार्षिक स्थिर प्रभार से अधिक होता है, तो ऐसे उत्पादन केन्द्र हेतु प्राथमिक ऊर्जा दर की निम्न सूत्र से गणना की जाएगी :–

$$\text{प्राथमिक ऊर्जा दर} = \frac{\text{वार्षिक स्थिर प्रभार}}{\text{विक्रय योग्य प्राथमिक ऊर्जा}}$$

(3) प्राथमिक ऊर्जा प्रभार = विक्रय योग्य प्राथमिक ऊर्जा x प्राथमिक ऊर्जा दर

गौण ऊर्जा दर प्राथमिक ऊर्जा दर के बराबर होगी।

गौण ऊर्जा प्रभार = विक्रय योग्य गौण ऊर्जा x गौण ऊर्जा दर।

अध्याय 5–प्रकीर्ण

29. प्रोत्साहन :

(1) सभी उत्पादन केन्द्रों के प्रचालन के पहले वर्ष में, नए उत्पादन केन्द्रों सहित, के विषय में प्रोत्साहन संदेय होगा, जब शुद्ध रूप से नदी से चलने वाले ऊर्जा उत्पादन केन्द्र के लिये क्षमता सूचकांक (सीआई) 90 प्रतिशत से अधिक हो अथवा भण्डारण व तालाब के साथ नदी से चलने वाले केन्द्र के लिये 85 प्रतिशत से अधिक हो तथा यह प्रोत्साहन अधिकतम 100 प्रतिशत क्षमता सूचकांक तक उपार्जित होगा।

(2) उत्पादन कम्पनी को प्रोत्साहन निम्न सूत्र के अनुसार संदेय होगा :–

प्रोत्साहन = 0.65 x वार्षिक स्थिर प्रभार x ($\text{सी.आई.}_{\text{ए.}}$ – $\text{सी.आई.}_{\text{एन.}}$)/100

(यदि प्रोत्साहन ऋणात्मक है तो इसे शून्य रखा जाएगा)

जहाँ $\text{सी.आई.}_{\text{ए.}}$ से तात्पर्य है प्राप्त क्षमता सूचकांक तथा $\text{सी.आई.}_{\text{एन.}}$ मानकीय क्षमता सूचकांक है, जिसका मान, शुद्ध रूप से नदी से चलने वाले जल विद्युत केन्द्र के लिये 90 प्रतिशत तथा तालाब/भण्डारण प्रकार के जल विद्युत उत्पादन केन्द्र के लिए 85 प्रतिशत है।

(3) वार्षिक आधार पर परिगणित कुल प्रोत्साहन संदाय फायदाग्राहियों द्वारा उनकी आबंटित क्षमता के आधार पर वहन किया जाएगा।

परन्तु यह कि उन दशाओं में जहाँ आबंटित क्षमता, जो कि करार द्वारा या अन्यथा फायदाग्राहियों के लिए वचनबद्ध या निश्चित क्षमता है, उपलब्ध नहीं है वहाँ इसका विभाजन विभिन्न फायदाग्राहियों को ऊर्जा की बिक्री के अनुपात के आधार पर होगा।

30. समय से पहले जल शक्ति उत्पादन केन्द्र पूर्ण करने हेतु प्रोत्साहन :

जल शक्ति उत्पादन केन्द्र या उसके किसी भाग के संनिर्माण को समय पूर्व पूरा करने पर, जैसा कि केन्द्र/राज्य सरकार की पहली स्वीकृति या प्राधिकरण की प्रौद्योगिक–आर्थिक निकासी, जो लागू हो, में निर्दिष्ट है वहाँ उत्पादन केन्द्र, समय पूर्व संनिर्माण की अवधि के अनुपाततः ब्याज पर कमी के बराबर प्रोत्साहन राशि के लिए योग्य होगा। उत्पादन केन्द्र के प्रचालन के पहले वर्ष की अवधि में 12 बराबर की मासिक किश्तों में दर द्वारा प्रोत्साहन वसूल किया जाएगा। केन्द्र/राज्य सरकार की प्रथम स्वीकृति या प्राधिकरण की प्रौद्यौगिक–आर्थिक निकासी, जो लागू हो, में निर्दिष्ट संनिर्माण की अवधि से देरी होने पर, दर निर्धारण हेतु संनिर्माण के दौरान ब्याज के पूँजीकरण की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक कि देरी प्राकृतिक आपदाओं या भौगोलिक आश्चर्यों के कारण न हो।

31. समझा गया उत्पादन :

(1) उत्पादन कम्पनी के नियंत्रण से बाहर के कारणों द्वारा कम हुए उत्पादन, जैसे कि फायदाग्राही को आपूर्ति हेतु पारेषण लाईन की अनुपलब्धता या राज्य भार निस्तारण केन्द्र से बैकिंग डाउन निर्देश की प्राप्ति के फलस्वरूप जल रिसाव, पर ऊर्जा प्रभार उत्पादन कम्पनी को देय होंगे। प्रभावित फायदाग्राहियों के मध्य ऐसे रिसाव के कारण ऊर्जा प्रभार का अभिभाजन, उस केन्द्र की विक्रय योग्य क्षमता में उनके अंश के अनुपात में होगा।

परन्तु यह कि उन दशाओं में जहाँ विक्रय योग्य क्षमता, जो कि करार द्वारा या अन्यथा फायदाग्राही के लिए वचनबद्ध या निश्चित क्षमता है, उपलब्ध नहीं है वहाँ इसका विभाजन विभिन्न फायदाग्राहियों को ऊर्जा की बिक्री के अनुपात के आधार पर होगा।

(2) उपरोक्त आधार पर ऊर्जा प्रभार ग्राह्य नहीं होंगे यदि वर्ष में उत्पादित ऊर्जा अभिकल्पित ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक है।

32. घोषित क्षमता का प्रदर्शन :

(1) राज्य भार निस्तारण केन्द्र द्वारा जब और जैसे कहा जाए, उत्पादन कम्पनी को अपने उत्पादन केन्द्र की घोषित क्षमता का प्रदर्शन करना पड़ सकता है। राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा निर्दिष्ट सहनशीलता सीमा के अन्दर घोषित क्षमता के प्रदर्शन में उत्पादन कम्पनी के असफल रहने की स्थिति में, उत्पादन कम्पनी को देय क्षमता प्रभार, शास्ति स्वरूप कम कर दिये जाएँगे।

(2) दिवस के एक खण्ड या अवधि में प्रथम मिथ्या घोषणा हेतु शास्ति की मात्रा, दो दिन के स्थिर प्रभार के समरूप होगी। द्वितीय मिथ्या घोषणा पर शास्ति चार दिन के स्थिर प्रभार के बराबर तथा इसके पश्चात् शास्ति की मात्रा में ज्यामितिय अनुक्रम में गुणात्मक वृद्धि की जाएगी।

(3) उत्पादन कम्पनी की प्रचालन कार्य पंजियाँ, राज्य भार निस्तारण केन्द्र या राज्य पारेषण उपयोगिता, जो भी स्थिति हो, द्वारा पुनरावलोकन हेतु उपलब्ध कराई जाएँगी। इन पुस्तिकाओं में यंत्र के संचालन, अनुरक्षण, जलाशय स्तर व स्पिलवे गेट के प्रचालन का अभिलेखन होता है।

33. मीटरिंग तथा लेखांकन :

मीटरिंग व्यवस्था, मीटर की संस्थापना, परीक्षण, प्रचालन तथा अनुरक्षण सहित, 15 मिनट औसत अन्तराल के समय खण्ड आधार पर ऊर्जा विपणी के लेखांकन हेतु आवश्यक आँकड़ों का प्रसंस्करण, निर्वासन तथा संकलन, राज्य पारेषण उपयोगिता/ राज्य भार निस्तारण केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। घोषित क्षमता व सारणी से सम्बन्धित आँकड़ों सहित मीटरों के प्रसंस्कृत आँकड़ों की आपूर्ति राज्य भार निस्तारण केन्द्र द्वारा राज्य पारेषण उपयोगिता को की जाएगी तथा राज्य पारेषण उपयोगिता मासिक आधार पर राज्य का ऊर्जा लेखा जारी करेगी।

34. व्यावृत्तियाँ :

(1) जिस के लिए कोई विनियम नहीं बनाये गए हैं, ऐसे किसी मामले में या अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का निर्वाह करने में कार्यवाही करने पर इन विनियमों में कुछ भी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग के लिए बाधक नहीं होगा तथा ऐसे मामलों में आयोग जैसा उचित व सही समझे, उस प्रकार से इन मामलों, शक्तियों व कर्त्तव्यों का निर्वाह करेगा।

(2) कठिनाईयाँ दूर करने की शक्तियाँ

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग स्वप्रेरणा से या अन्यथा, आदेश द्वारा, ऐसे आदेश से सम्भवतया प्रभावित होने वालों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत होने वाले ऐसे उपबन्ध बना सकता है, जो इन विनियमों से असंगत न हों।

35. शिथिलिकरण की शक्ति :

आयोग, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के उसके समक्ष आवेदन पर, इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध का शिथिलिकरण या परिवर्तन, इसके कारणों का लिखित अभिलेखन करने पर, कर सकता है।

परिशिष्ट–1

अवक्षयण अनुसूची

परिसम्पत्तियों का वर्णन	उपयोगी जीवन (वर्ष)	दर (90% के अनुसार परिकलित)	अनुज्ञात अवक्षयण (%)
1	2	3	4=2X3
A. पूर्ण स्वामित्व में भूमि	अपरिमित	——	
B. पट्टे पर ली गयी भूमि :			
(a) भूमि में निवेश हेतु	पट्टे की अवधि या पट्टे के आवंटन पर समाप्त न हुई शेष अवधि	——	
(b) स्थल के निर्वाधन लागत हेतु	स्थल के निर्वाधन की तिथि पर पट्टे की शेष बची हुई अवधि	——	
C. सम्पत्ति :			
खरीदी गई नई सम्पत्ति :			
(a) संयत्र नींव सहित उत्पादन केन्द्रों पर यंत्र एवं संयंत्र–			
(i) जल विद्युत	35	2.57	90
(ii) भाप विद्युत एन.एच.आर.एस. एवं वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स/संयंत्र	25	3.60	90
(iii) डीज़ल–विद्युत और गैस संयंत्र	15	6.00	90
(b) कूलिंग टावर एवं चक्करदार जल प्रणाली	25	3.60	90
(c) जल–विद्युत प्रणाली के भाग के रूप में जलीय कार्य जिसमें सम्मिलित हैं–			
(i) बांध, स्पिलवे वियर, नहरें–पुनः पक्के, फ्लूमेल तथा साइफन	50	1.80	90
(ii) पुनः पक्की की गई पाइप लाईन, सर्ज टैंक, हायड्रॉलिक नियंत्रण वाल्व तथा अन्य हायड्रॉलिक कार्य	35	2.57	90

1	2	3	4=2X3
(d) स्थाई प्रकृति के भवन एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्य, जिनका ऊपर उल्लेख नहीं है–			
(i) कार्यालय व शो रूम	50	1.80	90
(ii) अन्तर्विष्ट तापीय–विद्युत उत्पादन संयंत्र	25	3.60	90
(iii) अन्तर्विष्ट जल–विद्युत उत्पादन संयंत्र	35	2.57	90
(iv) लकड़ी से बनी अस्थाई खड़ी संरचना	5	18.00	90
(v) कच्ची के अतिरिक्त अन्य सड़कें	50	1.80	90
(vi) अन्य	50	1.80	90
(e) परिवर्तक, परिवर्तक (कियोस्क) उप–केन्द्र उपकरण एवं अन्य लगे उपस्कर (संयंत्र नींव सहित)–			
(i) परिवर्तक (नींव सहित) 100 कि. वोल्ट एम्पियर एवं ऊपर के रेटिंग वाले	25	3.60	90
(ii) अन्य	25	3.60	90
(f) स्विच–गियर केबल कनेक्शन सहित	25	3.60	90
(g) लाइटनिंग अरेस्टर–			
(i) स्टेशन टाईप	25	3.60	90
(ii) पोल टाईप	15	6.00	90
(iii) सिंक्रोनस कन्डैन्सर	35	2.57	90
(h) बैटरी–	5	18.00	90
(i) ज्वाइन्ट बॉक्स तथा डिसकनेक्टेड बॉक्स सहित भूमिगत केबल	35	2.57	90
(ii) केबल डक्ट प्रणाली	50	1.80	90
(i) सपोर्ट्स सहित ओवर हैड लाइन–			
(i) 55 के0वी0 से अधिक के नॉमिनल विभव पर फेब्रीकेटेड स्टील प्रचालन पर लाईनें	35	2.57	90
(ii) 13.2 कि0वो0 से अधिक, लेकिन 66 कि0वो0 से अधिक नहीं, नॉमिनल विभव पर स्टील सपोर्ट प्रचालन पर लाईन	25	3.60	90
(iii) स्टील या री–इन्फोर्स्ड कंक्रीट सपोर्ट्स लाईनें	25	3.60	90
(iv) शोधित लकड़ी सपोर्ट्स पर लाइन	25	3.60	90
(j) मीटर	15	6.00	90
(k) सेल्फ प्रोपेल्ड वेहिकल	5	18.00	90
(l) वातानुकूलन संयंत्र–			
(i) स्टेटिक	15	6.00	90
(ii) पोर्टेबल	5	18.00	90
(m)			
(i) कार्यालय का फर्नीचर एवं फिटिंग	15	6.00	90

1	2	3	4=2X3
(ii) कार्यालय के उपकरण	15	6.00	90
(iii) फिटिंग एवं उपस्करों सहित आंतरिक वायरिंग	15	6.00	90
(iv) स्ट्रीट लाईट फिटिंग	15	6.00	90
(n) किराये पर लिए गए उपस्कर–			
(i) मोटर के अलावा	5	18.00	90
(ii) मोटर	15	6.00	90
(o) संचार उपकरण–			
(i) रेडियो तथा उच्च आवृत्ति कैरियर प्रणाली	15	6.00	90
(ii) टेलीफोन लाईन तथा टेलीफोन	15	6.00	90
(p) पुरानी खरीदी गई सम्पत्ति तथा अनुसूची में अन्यथा उपबंधित न की गई सम्पत्ति	ऐसी उपयुक्त अवधि जैसी कि स्वामी द्वारा ग्रहण करते समय परिसम्पत्ति की स्थिति, आयु एवं स्वभाव के आधार पर प्रत्येक स्थिति में सक्षम सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।		